न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी श्री सुनील कुमार झिंगोनियां) आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 97/2023 जी0सी0एम0एस0 सं0 2023/247

1. सांवरलाल पुत्र रामसुख खाती जाति खाती निवासी बी सेक्टर भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा

बनाम

1. सीतादेवी पत्नि श्री कालूराम जाट निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला अजमेर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर

अप्रार्थी

3. छीतर पुत्र स्व. भूरा तेली जाति तेली निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला अजमेर
4. महावीर पुत्र स्व. भूरा तेली जाति तेली निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला अजमेर
5. मांगी पत्नि स्व. भूरा तेली जाति तेली निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला अजमेर
6. रामधन पुत्र स्व. भूरा तेली जाति तेली निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला अजमेर(विलोपित)

प्रफोर्मा अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर) सत्यमेव जयते

उपस्थितः— श्री त्रिलोक जांगिड़ प्रार्थी अधिवक्ता
श्री शिवचरण चौधरी अधिवक्ता प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 03 लगायत 05
पैरोकार सरकार

निर्णय अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 18.03.2025

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम देवलियांकलां पटवार हल्का देवलियांकलां, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र देवलियांकलां तहसील भिनाय स्थित खातेदारी भूमि खाता संख्या 750 में दर्ज खसरा नं. 483 रकबा 1.67 हैक्ट0 प्रार्थी तथा प्रफोर्मा अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 06 की खातेदारी आराजीयात है। प्रार्थी की खातेदारी आराजी में आने–जाने, कृषि उपकरण व प्राप्त उपज फसल को लाने–ले जाने हेतु ग्राम देवलियांकलां पटवार हल्का देवलियांकलां भू0अ0नि0 क्षेत्र देवलियांकलां स्थित सिवायचक खसरा संख्या 485 तथा अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी खसरा संख्या 484 का उपयोग व उपभोग करते चले आ रहें है जिस कारण उक्त आराजी पर प्रार्थी को सुखाधिकार के अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। प्रार्थी की भूमि पर आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात से 30 फीट चौडा रास्ता नियमानुसार शुल्क पर दिलवाने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी संख्या 01 व 02 तथा प्रफोर्मा अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 06 का जवाब बाबत् नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी 01 की और से अधिवक्ता श्री विष्णुदत्त शर्मा द्वारा वकालतनामा तथा जवाब पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

CamScanner

श्री विष्णुदत्त शर्मा द्वारा जवाब प्रस्तुत करने के पश्चात् अनुपस्थित रहने के कारण अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रफोर्मा अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 05 की और से अधिवक्ता श्री शिवचरण चौधरी द्वारा वकालतनाम पेश कर, प्रकरण में जवाब पेश कर नियमानुसार रास्ता स्वीकृत करने बाबत् निवेदन किया गया। वकील अप्रार्थीगण संख्या 03 लगायत 05 द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 151 सी0पी0सी0 एवं प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10(2) सी0पी0सी0 पेश कर निवेदन किया कि प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 06 अविवाहित नाऔलाद फौत हो चुका है, जिसके विधिक वारिसान प्रफौर्मा अप्रार्थीगण संख्या 03 लगायत 05 पूर्व में ही रिकॉड पर है अतः प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 06 का नाम विलोपित किया जावे। वकील प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किये जाने पर अपनी अनापत्ति प्रकट की गई। अतः वकील अप्रार्थीगण श्री शिवचरण चौधरी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 151 सी0पी0सी0 एवं प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10(2) सी0पी0सी0 अनुतोष योग्य होने से स्वीकर किया जाकर, प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 06 का नाम विलोपित किया गया। पैरोकार सरकार ने जवाब मय रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें बताया गयाा कि प्रार्थीगणों द्वारा चाहा गया रास्ता ग्राम देवलियांकलां पटवार हल्का देवलियांकलां भू0अ0नि0 क्षेत्र देवलियांकलां स्थित अप्रार्थीगण संख्या 01 की खातेदारी खसरा संख्या 484 सिवायचक खसरा संख्या 485 में से प्रार्थी को रास्ता चाहने के संबंध में अप्रार्थी तहसीलदार भिनाय द्वारा रिपोर्ट मय जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत की गई। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री विष्णुदत्त शर्मा द्वारा जवाब प्रस्तुत करने के पश्चात् अनुपस्थित रहने के कारण अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में पैरोकार सरकार द्वारा जवाब मय मौका रिपोर्ट पेश किये जाने पर पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना–पत्र धारा 251ए रा0का0अधि0 नियत की गई।

पत्रावली में वकील प्रार्थी से बहस प्रार्थना–पत्र धारा 251ए एकतरफा सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए, निवेदन किया कि, ग्राम देवलियांकलां पटवार हल्का देवलियांकलां, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र देवलियांकलां तहसील भिनाय स्थित खातेदारी भूमि खाता संख्या 750 में दर्ज खसरा नं. 483 रकबा 1.67 हैक्ट0 प्रार्थी तथा प्रफोर्मा अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 06 की खातेदारी आराजीयात है। प्रार्थी की खातेदारी आराजी में आने–जाने, कृषि उपकरण व प्राप्त उपज फसल को लाने–ले जाने हेतु ग्राम देवलियांकलां पटवार हल्का देवलियांकलां भू0अ0नि0 क्षेत्र देवलियांकलां स्थित सिवायचक खसरा संख्या 485 तथा अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी खसरा संख्या 484 का वर्षो से उपयोग व उपभोग करते चले आ रहें है जिस कारण उक्त आराजी पर प्रार्थी को सुखाधिकार के अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। प्रार्थी की भूमि पर आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात से 30 फीट चौडा रास्ता नियमानुसार शुल्क पर दिलवाने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

CamScanner

दौराने बहस जवाब मय मौका रिपोर्ट अनुसार कथन दोहराये गये। पत्रावली में बहस पक्षकार सुनी गई।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 251ए रा0का0अधि0 का अवलोकन किया गया, बहस पत्रावली पर मनन किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान निवेदन किया है कि उनके द्वारा अप्रार्थीगणों की आराजी में से वर्षो से आवागमन किया जा रहा है। जबकि तहसीलदार भिनाय से प्राप्त जवाब मय मोका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 की आराजीयात में से कोई आवागमन नहीं कर रहे है। साथ ही तहसीलदार भिनाय से प्राप्त रिपोर्ट से यह जाहिर है कि खसरा संख्या 483 और खसरा संख्या 482 प्रार्थी की खरीदशुदा संयुक्त खातेदारी काश्तकारी भूमि है, जिसमें प्रार्थी खसरा संख्या 453, 476 व 477 से आवागमन करते रहे है, जबकि प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी द्वारा बताया गया कि वे सिवायचक खसरा संख्या 485 तथा अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी खसरा संख्या 484 का उपयोग आवागमन के लिए करते आ रहे है, तथा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। अतः प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वच्छ हाथों से पेश नहीं किया जाकर, गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है। तहसीलदार भिनाय से प्राप्त जवाब मय मौका रिपोर्ट के अवलोकन तथा दौराने बहस सामने आया कि प्रार्थीगणों के आवागमन बाबत् रिकॉर्डेड़ रास्ता खसरा संख्या 451 के बाद खातेदारी खसरा संख्या 453, 476, 477 से होता हुआ रास्ता मोजूद है। जिसका प्रार्थी पक्ष द्वारा जरिये साक्ष्यों के खण्ड़न नहीं किया गया है। चुकि की खसरा संख्या 483 के साथ खसरा संख्या 482 भी वादी की खरीदशुदा संयुक्त खातेदारी आराजीयात है। उक्त खसरा संख्या के लिए खसरा संख्या 451 किस्म गै0मू0 रास्ता से खसरा संख्या 453, 476 और 477 में से रास्ता निकटतम दुरी का रास्ता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए की मूल भावना यह है कि ''अत्यान्तिक आवश्यकता होने पर ही रास्ता दिया जाना उचित होगा।'' परन्तु प्रार्थी द्वारा अपनी सुविधा के लिए खसरा संख्या 484 और 485 से रास्ते की मांग की गई है। चुकि साक्ष्य, बहस के आधारा पर यह सुस्थापित है कि प्रार्थी के पास निकटतम वैकल्पिक मार्ग पहले से ही उपलब्ध है। अतः 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रास्ता दिया जाना उचित नहीं है। अतः प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अनुतोष योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो। नंबर से कम दर्ज होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.03.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर) सत्यमेव जयते

(सुनील कुमार झिंगोनिया)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

CamScanner